

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अलवर, (राज)

कार्यालय आदेश

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/11-12 दिनांक 18.3.11 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/19626/11-12 दिनांक 25.4.2011 की पालना में राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम एवं प्रमोन्नति नियम 1993 तत्पश्चात् किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निम्नांकित विद्यालयों को सत्र 2011-12 से अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम की उच्च प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 6) प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

- 1- विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक रखने होंगे।
- 2- विद्यालय भवन/स्थान/नाम में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावे।
- 3- मान्यता नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णरूप से पालना की जावेगी।
- 4- निरीक्षण अधिकारी द्वारा पैनल निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता /विपरीत स्थिति अथवा कमी पाये जाने पर मान्यता रद्द की जा सकती है।
- 5- विद्यालय में अग्नि, शमन यंत्र स्थापित करना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्र नहीं होने की स्थिति में मान्यता निरस्त कर दी जावेगी।
- 6- प्रत्येक सत्र का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनवाया जावे। एवं एक प्रति भय नक्शा कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	माध्यम
1	सरस्वती आर्दश विद्या मन्दिर झोंकडी, थानागाजी	हिन्दी
2	ग्रामीण कृष्णा केशव इन्टरनेशनल स्कूल, राजगढ़	अंग्रेजी
3	केशव आर्दश विद्या मन्दिर घोषी घट्टा, अलवर	हिन्दी
4	माउण्ट लिटरेजी स्कूल 3 मोती झूंगरी, अलवर	अंग्रेजी

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा अलवर
दिनांक-29/8/11

क्रमांक:-जिशिअ/प्राशि/अल/मान्यता/2010-11/1585-1588

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उपसचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा ग्रुप-5 जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. शिक्षा उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी..... अलवर।
5. व्यवस्थापक संस्था/ विद्यालय माउण्ट लिटरेजी स्कूल 3 मोती झूंगरी..... अलवर।
6. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा अलवर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अलवर राज.

-::कार्यालय आदेश::-

वरिष्ठ शासन उप सचिव स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.8 (55) शिक्षा-5/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 23.05.2014 के द्वारा जारी स्वीकृति पश्चात इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/अल/मान्यता/संस्था-4/2010-11/1585-1588 दिनांक 29.08.2011के द्वारा माउण्ट लिटेरा जी स्कूल, मोती डूंगरी, अलवर को उच्च प्राथमिक स्तर की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गई थी।

अतः उक्त वरिष्ठ शासन उप सचिव जयपुर से प्राप्त स्वीकृति पश्चात माउण्ट लिटेरा जी स्कूल, मोती डूंगरी, अलवर का स्थान ग्राम जहारखेडा, पंचायत समिति किशनगढबास में परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्थान परिवर्तन ग्रीष्मावकाश 2014-15 में कर लिया जावे।

शेष मान्यता की शर्तें यथावत रहेगी।

— sd —

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर

दिनांक:- 16/06/2014

क्रमांक:-जिशिअ/प्राशि/अल/संस्था-4/फा-स्थान परिवर्तन/14-15/

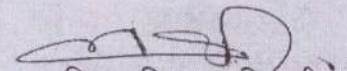
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. निदेशक प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर।
2. उपनिदेशक प्रा.शि. जयपुर संभाग जयपुर।
3. ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी

4. संबंधित संस्था..... किशनगढ बास
माउण्ट लिटेरा जी स्कूल जहारखेडा किशनगढबास

5. कार्यालय पत्रावली।





जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर